निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 142 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी बाजपुर, उधम सिंह नगर,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी बाजपुर उधम सिंह नगर, के माह 01/2016 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र पाण्डेय, वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/03/2019 से18/03/2019 तक सम्पादित की गई।

<u>भाग</u>-I

1. **परिचयात्मकः** कार्यालय की प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान में माह 02/2016 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः नगर निगम क्षेत्र बाजपुर
3. (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में
2015-16				156.50	152.55	0.74	102.79
2016-17				190.73	188.70	1.45	1.42
2017-18				194.56	194.54	0.86	0.77
2018-19				235.80	218.39	2.57	2.12

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17		शून्य			
2017-18					
2018-19(12/2018)					

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1.सचिव पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

अपर निदेशक पशुपालन विभाग, हल्द्वानी

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हल्द्वानी

पशु चिकित्सा अधिकारी बाजपुर

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी बाजपुर,उधम सिंह नगर,** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी बाजपुर, उधम सिंह नगर,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

5. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो ब

प्रस्तर1:-रोकड़ बही का नियमानुसार रखरखाव न किया जाना

प्राप्ति एवं भुगतान नियमों के नियम 13 के अनुसार "(i) Every such officer (referred to in this rule as the Head of the Office) should maintain a cash book in Form G.A.R.3. (ii) All monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and attested by the Head of the Office in token of check". पशु चिकित्साधिकारी रुद्रपुर की रोकड़ बही की 11-सी पंजिका , वौचेर्स एवं बीएम-5 के साथ मिलन के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में सिर्फ पशुओं कि चिकित्सा हेतु प्राप्त पंजीकरण शुल्क कि प्रविष्टि की जाती है किन्तु विभिन्न मदों में प्राप्त बजेट आबंटन एवं उसके विरुद्ध भुगतान किए गए देयकों का विवरण दर्ज नहीं किया जा था।

इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर बताया उत्तर दिया गया कि समस्त भुगतान ए ई-पेमेंट के माध्यम से होने के कारण समस्त पंजिका / वाउचर संरक्षित किए गए हैं किन्तु ई-पेमेंट कैश बुक नहीं बनाई गई है।भविष्य में ई- पेमेंट से संबन्धित समस्त लेखे कैश बुक में प्रविष्टि कि जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार कैश बुक में सभी वित्तीय लेन देन दर्ज किए जाने चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
1	प्रथम लेखा परीक्षा	-	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

प्रथम लेखा परीक्षा

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी बाजपुर, उधम सिंह नगर,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री जी एस खडायत	पशु चिकित्सा अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय पशु चिकित्सा अधिकारी बाजपुर, उधम सिंह नगर,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी